



झारखण्ड राज्य जल नीति

हमारा दृष्टिकोण

“नदी और उसकी पाश्वभूमि में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए झारखण्ड राज्य की जनता को अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए राज्य के जल संसाधन का सतत विकास, भरपूर उपयोग एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना।”

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
2011

विषय सूची

- 1.0 झारखंड राज्य जल नीति की आवश्यकता
- 2.0 झारखंड राज्य जल नीति – हमारा दृष्टिकोण
- 3.0 झारखंड राज्य जल नीति (झा.रा.ज.नी.) का उद्देश्य
- 4.0 राज्य जल योजना
- 5.0 अंतर्राज्यीय जल भागीदारी
- 6.0 जल संभर विकास एवं प्रबंधन
- 7.0 राज्य के जल संसाधन
 - 7.1 कृषियोग्य भूमि के लिए सिंचाई
 - 7.2 विद्यमान सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग
 - 7.3 जल संसाधन की योजना, विकास तथा प्रबंधन में जल उपयोक्ताओं की भागीदारी
 - 7.3.1 सिंचाई पद्धति के लिए कृषकों का प्रबंधन
 - 7.4 जल के उपयोग की हकदारी
 - 7.5 जल की हकदारी का हस्तांतरण
- 8.0 घरेलू उपयोग के लिए जल
 - 8.1 सभी के लिए पेयजल
 - 8.2 पेयजल सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष योजना
 - 8.3 पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता का सामुदायिक प्रबंधन
- 9.0 औद्योगिक उपयोग के लिए जल
- 10.0 निजी क्षेत्रों की भागीदारी
- 11.0 जल की गुणवत्ता
- 12.0 जलविज्ञान संबंधी सूचना पद्धति का निर्माण, अनुश्रवण तथा उसको मजबूती प्रदान करना
- 13.0 जल संसाधन परियोजनाओं का बेंचमार्किंग

- 14.0 जल अंकेक्षण
- 15.0 जल संरक्षण
- 16.0 सूखा प्रबंधन
- 17.0 जल संसाधन योजना तथा सिद्धांत
- 18.0 बाढ़ जल – योजना एवं प्रबंधन
- 19.0 जल के उपयोग की प्राथमिकता
- 20.0 जल संसाधन की भौतिक तथा आर्थिक स्थिरता
- 21.0 बृहत पैमाने पर जलापूर्ति तथा जल प्रभार्य
- 22.0 भूगर्भ जल का प्रबंधन
- 23.0 पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास
- 24.0 जल का क्षेत्रीकरण
- 25.0 आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं का अनुरक्षण और आधुनिकीकरण
- 26.0 राज्य जल सेवाओं की मूल्य-प्रभावकता
- 27.0 जल प्रभार्य की वित्तीय स्थिरता
- 28.0 निवेश-प्रथामिकता एवं योजना
- 29.0 जल संसाधन के आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा
- 30.0 जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का शोध, विकास एवं उन्नयन
- 31.0 मानव संसाधन विकास
- 32.0 जलनीति की आवधिक समीक्षा

1.0 झारखण्ड राज्य जल नीति की आवश्यकता

1.1. जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। मानव तथा प्राणिजीवन के लिए इस दुर्लभ संसाधन के महत्व को स्वीकार करने के साथ ही हमारी चिन्ता का विषय सभी प्रकार की आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों में पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखना है। राज्य में वर्षा की असमानता के कारण कतिपय क्षेत्र में जल की घोर कमी हो जाती है। अतएव इसका भरपूर, मितव्ययी, साम्यपूर्ण एवं सतत उपयोग तथा योजना और प्रबंधन अत्यधिक महत्व का विषय बन गया है।

सभी नर नारी की बुनियादी जरूरतों के मुताबिक समुचित मात्रा में जल की उपलब्धता प्राप्त करने के लिये अधिकार की सुरक्षा तथा समुचित नीति, विधायन तथा कार्यक्रम के जरिये उसका प्रवर्त्तन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अतः जल के सतत प्रबंधन, युक्तियुक्त उपयोग एवं उचित योजना के लिये राज्य जल नीति की पूर्वापेक्षी आवश्यकता है।

एक बहुअनुशासित तथा समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है ताकि जल को पारिस्थितिक भाग माना जाए, जो कि सबके लाभ के लिये है न कि केवल कुछ लोगों के लिए।

1.2 भारत की स्वतंत्रता से वर्ष 2000 में झारखण्ड राज्य के गठन तक जल संग्रहण परियोजनाओं के विकास तथा जल वितरण से संबंधित अन्य स्कीमों में कुछ निवेश किये गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है :—

- (i) कुछ हजार हेक्टेर से लगभग 3.00 लाख हेक्टेर तक सिंचाई क्षमता का सृजन तथा इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता तथा कृषि आधारित उद्योगों की वृद्धि;
- (ii) प्रमुख नगरों तथा शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल वितरण व्यवस्था में वृद्धि; तथा
- (iii) औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक जलापूर्ति सुलभ कराना, बहरहाल विगत 63 वर्षों में मापदण्डों की अपर्याप्ति के कारण उत्पन्न जल संबंधी चुनौतियों पर अविलम्ब ध्यान देना आवश्यक है।

सतह तथा भूतल जल के विकास तथा प्रबंधन में पृथक तथा खंडित दृष्टिकोण अपनाने तथा उद्योगों तथा उद्योगों और निगम निकायों द्वारा अशोधित बहिःस्राव निर्मुक्त करने के कारण सतह तथा भू जल, दोनों की गुणवत्ता में ह्लास हो रहा है तथा राज्य के कुछ भाग को गैरवर्षाकाल के दौरान जलाभाव का सामना करना पड़ता है।

1.3 विभिन्न उद्देश्यों (जैसे कि पास्थितिक, निगम, सिंचाई, उद्योगों आदि) हेतु जल के उपयोग के लिये प्रतिस्पर्धा होने लगी और संघर्ष बढ़ता गया, जलक्षेत्र में स्थापित आधारभूत संरचना में प्रचालन तथा अनुरक्षण की कमी का परिणाम यह हुआ कि स्थापित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो गया। अतः राज्य के जल संसाधन के लिये सुविचारित योजनाओं, उसके विकास तथा प्रबंधन की आवश्यकता है।

1.4 झारखण्ड की जनता के लिये जल का महत्व कई रूपों में है – लोगों का स्वास्थ्य और उनकी तंदुरुस्ती, पर्यावरणीय मूल्यों को बनाये रखना, गांवों तथा शहरों में जलापूर्ति, कृषि उत्पादन, जिसपर ग्रामीण आमदनी का अधिकांश भाग निर्भर है, ग्रामीणों की आजीविका, जलविद्युत उत्पादन, औद्योगिक तथा वाणिज्य और उद्योगों का हित, जिनसे बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिये रोजगार का सृजन होता है – सभी इसी पर निर्भर हैं।

राज्य के अनेक नदीबेसिनों तथा उपबेसिनों में सीमित जलापूर्ति को लेकर प्रतिस्पर्धा और जल के इन विविध उपयोगों के बीच संघर्ष की स्थिति बढ़ रही है। जल के अभाव में वृद्धि तथा जलसेवाओं के लिये प्रतिस्पर्धा ठीक इसी समय हो रही है जबकि उत्पादकता वृद्धि के लिये राज्य कृषि-उत्पादकता की वृद्धि में प्रतिरोध से बाहर निकलने, ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी के अवसर बढ़ाने हेतु सिंचाई में वृद्धि और तेजी लाने के लिये अनिवार्य रूप से नये रास्तों की तलाश कर रहा है।

1.5 इन नई चुनौतियों का सामना करने तथा राज्य की जनता का भावी कल्याण सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड में राज्य जल नीति अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस नीति में व्यापक रूप से पंचसूत्री कार्यनीति अपनाई जायेगी :—

प्रथम विकास को बढ़ावा देने, गरीबी को कम करने तथा क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाने के लिये सरकार एक पर्यावरणीय सतत रीति से बेहतर और अधिक साम्यापूर्ण तथा उत्पादक जल संसाधन प्रबंधन द्वारा एक सामर्थ्यकारी पर्यावरण बनाने के लिये एक नयी राज्य जलनीति का ढांचा अपनायेगी।

द्वितीय राज्य के द्वारा सरकार तथा जल प्रयोक्ता की मौलिक भूमिका तथा सम्बन्धों को फिर से निर्मित किया जाएगा। जल संसाधन प्रबंधन में अधिकाधिक भागीदारी के लिये जल प्रयोक्ता संगठनों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहन देने तथा उनके द्वारा जल वितरण के प्रबंधन, संचालन तथा अनुरक्षण तथा सेवा सुविधा तथा उन्हें अनुदान और नये जल प्रयोक्ता संगठनों तथा संस्थाओं को जल की स्थायी तथा भविष्यत्तगामी हकदारी देना ताकि वे नौकरशाही के हस्तक्षेप के बिना जल के बेहतर उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय ले सकें।

तृतीय सरकार राज्य स्तर पर तथा नदी बेसिन स्तर पर जल संसाधनों की योजना तथा उसके विकास के मार्गदर्शन तथा उसे विनियमित करने के लिये एक नई संस्थागत व्यवस्था स्थापित करेगी; प्रस्तावित नदी घाटी संस्थानों के उत्तरदायित्वों तथा शक्तियों को यथोचित रूप से परिभाषित करते हुये नदीबेसिन तथा उपबेसिन स्तर पर जल संसाधन योजना, विकास, प्रबंधन, संचालन तथा अनुरक्षण कार्यों के उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण।

चतुर्थ दक्षता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिये तकनीकी प्रोत्साहन देना, क्षेत्र आधारित ज्ञान का प्रसार करना तथा मानव संसाधन की क्षमता तथा सामर्थ्य का विकास सरकार की उच्च प्राथमिकता होगी।

पंचम सरकार ऊपर वर्णित कार्यनीति को अल्प समय में लागू करने के लिये समुचित विधान/प्रशासनिक आदेश तथा समर्थ नियम प्रतिपादित करेगी। पहले तो सरकार समुचित अधिनियम/विधान/नियम/प्रशासनिक आदेश द्वारा कृषक सिंचाई प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगी तथा राज्य जल प्राधिकार तथा नदी जल प्राधिकार का गठन किया जायेगा।

2.0 झारखंड राज्य जल नीति – हमारा दृष्टिकोण

“नदी और उसकी पार्श्वभूमि में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए झारखंड राज्य की जनता को अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए राज्य के जल संसाधन का सतत विकास, भरपूर उपयोग एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना।”

3.0 झारखंड राज्य जल नीति (झा.रा.ज.नी.) का उद्देश्य

3.1 एकीकृत, बहुक्षेत्रीय तथा नदीबेसिन पद्धति

सातत्यता के आधार पर जल संसाधन की योजना, विकास तथा प्रबंधन के लिए एकीकृत तथा बहुक्षेत्रीय पद्धति अपनाने में नदीबेसिन/उपबेसिन को एक इकाई के रूप में लेकर ऐकिक पद्धति से उसकी सतह तथा उपसतह को उपचारित किया जायेगा।

राज्य के जल संसाधन प्रबंधन को जलविज्ञान अथवा जलसंभर आधार पर न्यूनतम व्यवहार्य स्तर पर विकेन्द्रित किया जायेगा। इसके लिए राज्य पाँच प्रमुख नदी बेसिनों में विभाजित किया जायेगा तथा प्रत्येक अथवा समूह में नदी बेसिन के अंतर्गत उपयुक्त नदीघाटी/अभिकरण/प्राधिकार स्थापित किया जायेगा।

नदी बेसिन अभिकरण अपने नदी बेसिन के जलसंभर में बाढ़ प्रबंधन, सूखा प्रबंधन तथा संचालन एवं जल संग्रहण तथा वितरण की आधारभूत संरचना तथा जल संसाधन की एकीकृत योजना, विकास तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी और प्राधिकार होगा। नदी बेसिन अभिकरण सभी घाटी जल प्रयोक्ता संस्थाओं, जल प्रयोक्ता वर्गों तथा अन्य पण्डारियों के प्रतिनिधियों के प्रभावी समावेश तथा सहभागिता से एकीकृत नदी बेसिन योजना तैयार करेगा। ऐसी बेसिन योजना में विकास योजना, दीर्घकालीन संचालन योजना, अनुश्रवण योजना, व्यापक जल संभरण प्रबंधन योजना, दक्षता सुधार तथा जल संरक्षण योजना, न्यूनतम अपव्यय तथा जल गुणवत्ता प्रबंधन योजना शामिल होंगी।

4.0 राज्य जल योजना

विविध जल उपयोगों के बीच समुचित समन्वय स्थापित करते हुए संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न नदी बेसिन अभिकरणों द्वारा विकसित जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन योजनाओं के आधार पर राज्य जल संसाधन योजना तैयार करेगी, जिसमें संरचनात्मक मापदण्ड, संचालनात्मक मापदण्ड, जल संभरण प्रबंधन मापदण्ड, मांग प्रबंधन मापदण्ड, जैसे संरक्षण अनुसूचन तथा कुशल प्रौद्योगिकी, जल प्रदूषण नियंत्रण मापदण्ड तथा अनुश्रवण मापदण्ड शामिल किये जायेंगे, ताकि राज्य के साथ-साथ राज्य की जनता के हित में जल संसाधन का सतत व्यापक प्रबंधन तथा साम्यापूर्ण जल वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य जल संसाधन योजना तैयार करने में राज्य के विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों, यथा राज्य पर्यावरण तथा वन विभाग, कृषि विभाग, पेयजल तथा स्वच्छता विभाग, राज्य जल संभरण विकास अभिकरण, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण पर्षद आदि की सहमति आवश्यक होगी।

5.0 अन्तर्राज्यीय जल भागीदारी

अधिकांशतः अन्तर्राज्यीय जल भागीदारी समझौते पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा किये गये हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से झारखंड राज्य के संपूर्ण विकास के परिदृश्य में प्रत्यक्षतः परिवर्तन हुआ है। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सभी अन्तर्राज्यीय जल भागीदारी समझौते के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाय, ताकि राज्य के हित संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके।

6.0 जलसंभर विकास एवं प्रबंधन

सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में एकीकृत जलसंभर विकास तथा प्रबंधन के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में, व्यावहारिक जलसंभर कार्यक्रम की पहचान की जायेगी तथा उसके विकास की योजना बनाई जायेगी।

7.0 राज्य के जल संसाधन

राज्य के अंतर्गत सतह या उपसतह पर उद्भूत सभी जल अथवा राज्य से गुजरनेवाले किसी और सभी नालों तथा राज्य के भीतर के जलभूत राज्य के जल संसाधन के रूप में परिभाषित होंगे।

राज्य का भौगोलिक क्षेत्र 79 लाख हेक्टेयर है तथा कृषियोग्य क्षेत्र 38 लाख हेक्टेयर है। इनमें से 80 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित हैं। लगभग 7 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं। झारखंड में अत्यंत विषम वर्षा, जिसकी सीमा 1000 मिमी से 1400 मिमी है, मुख्यतः चार माह की अवधि जून से सितंबर माह के बीच 60 से 80 के बीच के अंतरवाले कई वर्षादिवसों में होती है। अनुमानित जल संसाधन की औसत वार्षिक उपलब्धता सतहजल के 27.726 किमी तथा उपसतह के 5.251 किमी में विद्यमान है। इस औसत वार्षिक उपलब्धता का 50 प्रतिशत से अधिक राज्य के सोलह (16) नदी बेसिनों में से पाँच प्रमुख नदी बेसिन (स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर, उत्तरी कोयल, गुमानी तथा दक्षिणी कोयल) में पाया जाता है।

7.1 कृषियोग्य भूमि के लिए सिंचाई

- 7.1.1 राज्य के प्रत्येक कृषियोग्य भूखंड को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना राज्य का एक बड़ा लक्ष्य है। दस वर्षों के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य के प्रत्येक नदी बेसिनों में एग्रो क्लाईमेटिक जोन के आधार पर चरणबद्ध ढंग से एक योजना अपनाई जायेगी।
- 7.1.2 इस योजना का प्रारंभिक कार्य राज्य में उपलब्ध सभी कृषियोग्य भूखंड तथा सिंचाई संसाधन/परियोजना का कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करना होगा। इस डाटाबेस में बहुस्तरीय सूचनाएँ होंगी, जिसमें भूमि क्षमता, वर्तमान भूमि उपयोग, फसल पद्धति, वर्षा पद्धति के साथ-साथ आकाशीय और ऊँचाई की भिन्नता सहित स्थलाकृति विज्ञान भी अंतर्विष्ट होंगे। इस डाटाबेस का उपयोग कृषियोग्य भूमि के प्रत्येक भूखंड में सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए परियोजना सूत्रबद्ध करने में होगा। एक निश्चित समयसीमा के भीतर डाटाबेस तैयार के परियोजनार्थ राज्य सरकार उपयुक्त एजेंसी की पहचान करेगी।

7.2 वर्तमान सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग

- 7.2.1 यह आवश्यक होगा कि बृहद्, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से अबतक सृजित सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग किया जाय। जहाँतक संभव हो, जल उपयोक्ता संघों/जल उपयोक्ता महासंघ द्वारा ऐसी सभी परियोजनाओं का पुनरुद्धार तथा अनुरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता होगी। विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि का आवंटन करते समय भी ये कार्य प्राथमिकता वाले होंगे।
- 7.2.2 राज्य सरकार का यह प्रयास होगा कि पाँच वर्षों के भीतर ऐसी परियोजनाओं का संपूर्ण डाटाबेस तैयार कर लिया जाय तथा योजनाबद्ध रीति से ऐसी परियोजनाओं का पुनरुद्धार तथा अनुरक्षण का कार्य भी संपन्न कर लिया जाय।

7.3 जल संसाधन की योजना, विकास तथा प्रबंधन में जल उपयोक्ताओं की भागीदारी

जल उपयोक्ता अपने मान्यताप्राप्त संगठन अथवा सेवा प्रदाता के माध्यम से जल संसाधन योजना तथा विकास, आधारभूत जलीय संरचना तथा सुविधाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण एवं उनकी जलीय हकदारी प्रबंधन में अपना दायित्व बढ़ायेंगे तथा प्रभावकारी सहभागिता के लिए सशक्त बनेंगे।

7.3.1 सिंचाई पद्धति के लिए कृषक प्रबंधन

सिंचाई प्रबंधन में अपने जल उपयोक्ता संघ के माध्यम से कृषकों की भागीदारी को अनिवार्य किया जायेगा तथा इससे जल उपयोक्ता संघों को जल का आवंटन, आपूर्ति एवं प्रभार्य केवल मात्रात्मक आधार पर ही किया जायेगा। सिंचाई पद्धति का प्रबंधन जल उपयोक्ता संघों के माध्यम से समुचित अधिनियम/प्रशासनिक आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। सिंचाई प्रबंधन में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। ज.उ.स. अपने सदस्यों की ओर से बड़े पैमाने पर जल के उपयोग के हकदार होंगे तथा अपने बड़े पैमाने पर जल के उपयोग की हकदारी का प्रबंधन तथा वितरण करेंगे। ये ज.उ.स. अपने क्षेत्राधिकार

में वितरण स्तर तक सिंचाई की सभी आधारभूत संरचनाओं का अनुरक्षण करेंगे तथा परियोजना स्तर तक संघबद्ध होंगे। संघ नहरों के प्रचालन तथा अनुरक्षण, आनुषंगिक ढाँचों तथा परियोजनाओं में स्थापित अन्य सुविधाओं के लिए जवाबदेह होगा।

लघु सिंचाई हेतु पारम्परिक जलश्रोतों के प्रबन्धन एवं सम्बद्धन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा।

7.4 जल के उपयोग की हकदारी

राज्य जल उपयोक्ता संस्थाओं के आर्थि और सामाजिक मूल्य तथा सेवा प्रदाताओं के पास जल की बड़ी मात्रा की स्थायी हकदारी की मान्यता देगा। राज्य जल की हकदारी के लिए सम्यक् रूप से परिभाषित पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेगा जो किसी राज्य अभिकरण या प्राधिकार द्वारा एकपक्षीय रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा जारी विनियम में यथापरिभाषित राज्य के जल संसाधन के उपयोग की हकदारी के अधिकार का उपयोग हकदारी पानेवाले के द्वारा हकदारी में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन सरकारी अधिनियम तथा ऐसे अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों तथा विनियमों के द्वारा यथाविहित हकदारी के प्रबंधन, उपयोग तथा हस्तांतरण के लिए उसी रूप में किया जायेगा।

7.5 जल की हकदारी का हस्तांतरण

किसी कोटि के जल उपयोग के हकदारी धारकों के बीच जल हकदारी के पूर्ण या आंशिक हस्तांतरण के लिए समुचित राज्य जल प्राधिकार या उसके प्रतिनिधि के प्रशासनिक नियंत्रण में उचित प्रतिपूर्ति पर आधारित वार्षिक एवं मौसमी दोनों आधार पर अनुमति दी जायेगी।

8.0 घरेलू उपयोग के लिए जल

8.1 सभी के लिए पेयजल

घरेलू उपयोग के लिए शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की संपूर्ण आवादी को पर्याप्त मात्रा में घरेलू जल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जहाँ पेयजल का कोई

वैकल्पिक तथा पर्याप्त स्रोत नहीं हो, वहाँ की बहुदेशीय परियोजनाओं में घरेलू जल को एक घटक के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। किसी उपलब्ध जल संसाधन की पहली प्राथमिकता पर्यावरण विज्ञान एवं मानव और पशुओं के लिए पेयजल की अवश्यकता होगी।

- 8.1.1 घरेलू जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस परिप्रेक्ष्य में चरणबद्ध तरीके से योजना तैयार की जायेगी तथा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। पेयजल को सीधे जलाशयों से लेने के लिए अन्य जल उपभोग क्षेत्रों की प्रतिबद्धताओं पर विचार करते हुए योजना तैयार की जायेगी। नहर तथा नदीजल की बरबादी से बचने के लिए यथासंभव जलाशयों से पेयजलापूर्ति प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन बिछाया जायेगा।
- 8.1.2 सतत जलापूर्ति बनाये रखने के लिए जलउपयोग करनेवाले जनसमुदाय की सामाजिक आर्थिक दशा पर विचार करते हुए जलदर का निर्धारण किया जायेगा ताकि कम से कम, संचालन तथा अनुरक्षण लागत व्यय की पूर्ति तो हो सके।

8.2 पेयजल सुविधाओं के संवर्धन के लिए विशेष योजना

- 8.2.1 शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आबादी बढ़ने के साथ-साथ सुरक्षित तथा स्वच्छ पेयजल की मांग में वृद्धि हो रही है। 1991–2001 तथा 2001–2011 दशक के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 17.9 प्रतिशत तथा 31.2 प्रतिशत है, जबकि 1991–2001 तथा 2001 से 2011 दशक के दौरान राज्य की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 24.55 प्रतिशत तथा 22.34 प्रतिशत है।
- 8.2.2 झारखण्ड में सुरक्षित तथा स्वच्छ पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने के प्रयोजनार्थ गाद की सफाई तथा अन्य तकनीकी उपायों को अपनाकर पेयजलापूर्ति वाले विद्यमान जलाशयों की क्षमता में टिकाऊ वृद्धि के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का गंभीर प्रयास किया जायेगा, जिसमें अल्पावधि उपायों के अंतर्गत पेयजलापूर्ति पाइपलाइनों में रिसाव को रोकना शामिल है। जबकि इस प्रयास को और बढ़ाने के लिए एक श्रृंखलाबद्ध दीर्घावधि समर्पित यथा जून से

दिसंबर तक गंगा नदी (अंतर्राष्ट्रीय नदी) से पानी लेने के लिये प्रौद्योगिकी आर्थिक साध्यता संबंधी अध्ययन कराया जायेगा तथा गैरमानसून अवधि में पेयजल की मांग तथा सिंचाई की पूरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित बाँधों/जलाशयों की शृंखलाओं में भंडारण हेतु आंशिक जलापूर्ति के लिए बंगलादेश एवं भारत के बीच गंगाजल के बंटवारे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता कराने पर विचार किया जायेगा।

8.2.3 बढ़ती हुई शहरी आबादी के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार पेयजलापूर्ति हेतु अधिक आबादी वाले शहरों के पास बड़े जलाशयों का निर्माण करेगी।

8.3 पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता का सामुदायिक प्रबंधन

शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजना तथा प्रबंधन में समुदाय को प्रभावकारी ढंग से शामिल किया जायेगा। इन सेवाओं का दिनानुदिन आधार पर प्रबंधन, संचालन तथा अनुरक्षण सामुदायिक स्तरीय संगठन तथा समुचित स्थानीय स्तरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

9.0 औद्योगिक उपयोग के लिए जल

9.1 कंडिका 19.0 में यथानिर्दिष्ट जल के उपयोग की प्राथमिकता के अधीन रखे गये क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत नदी बेसिन में उपलब्ध शेष जल से उद्योगों को भी जल का आवंटन किया जायेगा।

9.2 विद्यमान तथा नये उद्योगों द्वारा बहिःस्नावी जल का उपचार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सांविधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। प्रदूषण फैलानेवाले सभी उद्योगों के लिए बहिःस्नावी जल उपचार संयत्र लगाना अनिवार्य किया जायेगा। उपचारित बेकार जल के पुनःचक्रण या पुनरुपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

10.0 निजी क्षेत्रों की भागीदारी

10.1 राज्य के प्रत्येक नदी बेसिन में निजी उद्योगपतियों, व्यावसायिक उद्यमों तथा जल सेवा प्रदाताओं की संपूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी अपेक्षित होगी तथा इसे नदीबेसिन

योजन बनाने नदीबेसिनों के जल संसाधनों के सतत प्रबंधन में प्रोत्साहित किया जायेगा।

10.2 नवीन तकनीक इस्तेमाल करने तथा अभिनव वित्तपोषण प्रबंधन विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, जल सेवाओं की गुणवत्ता एवं लागत-प्रभावकता तथा जल उपयोक्ताओं की जवाबदेही में सुधार के लिए जल संसाधन परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं क्रियान्वयन में सरकारी या अन्य सक्षम प्राधिकार की भागीदारी के साथ, जहाँ उचित हो वहाँ निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा।

11.0 जल की गुणवत्ता

- 11.1 राज्य की जनता के लिए राज्य के जल संसाधन की गुणवत्ता को सतत रीति इसकी उपयोगिता हेतु संरक्षित एवं सुरक्षित किया जायेगा। राज्य के सतह जल एवं उपसतह जल में प्रदूषित बहिःस्राव के नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम के अध्यधीन राज्य सरकार किसी प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा एक कार्यक्रम चलायेगी। यह कार्यक्रम ऐसे किसी बहिःस्राव का निबंधन, अनुज्ञाप्ति तथा अनुश्रवण किसी नदी/उपनदी/नाला/धारा में किसी प्रदूषित बहिःस्राव के लिए मानक, स्वीकार्य तथा उपयुक्त सीमा के निर्धारण को सम्मिलित करेगी। नदी बेसिन एजेंसियां नदी बेसिन योजना, कार्ययोजना तथा जल संभर विकास योजना में जल की गुणवत्ता के अनुरक्षण पर विचार करेगी।
- 11.2 राज्य के जल संसाधन का प्रदूषण निषिद्ध होगा तथा राज्य के जल संसाधन में प्रदूषण फैलानेवालों, प्रदूषण में सहायक या प्रदूषण को उकसानेवालों को राज्य की विधि एवं विनियम के उपबंध के अनुसार सुसंगत राज्य अभिकरण द्वारा दंडित किया जायेगा।

12.0 जलविज्ञान संबंधी सूचना पद्धति (एच.आई.एस.) का निर्माण, अनुश्रवण तथा उसको मजबूती प्रदान करना

12.1 व्यापक जल प्रबंधन के लिए वास्तविक, विस्तृत, समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण ऑकड़ों तथा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित ऑकड़ों के भी संग्रहण, संकलन, भंडारण तथा उपयोग आवश्यक तथा पूर्वपेक्षी है। अच्छे गुणवत्तापूर्ण ऑकड़े सभी जलविज्ञानी विश्लेषणों के मूल सिद्धांत के रूप में काम करेंगे।

अतः समस्त झारखंड राज्य के लिए जलविज्ञान संबंधी प्रणाली के निर्माण तथा उसको मजबूत करने के लिए एक सम्मिलित प्रयास करना होगा। सभी निर्णय तथा प्रबंधन के कार्यकलाप ऐसे गुणवत्तापूर्ण ऑकड़ों के विश्लेषण पर आधारित होंगे।

12.2 नदीबेसिन एजेंसियों, सभी जल उपयोक्ताओं, जल सेवा प्रदाताओं तथा राज्य सरकार के विभाग एवं अन्य नदीबेसिन, उपबेसिन और राज्यस्तर के एजेंसियों के द्वारा योजना बनाने, परियोजना के निरूपण और कार्यान्वयन, प्रचालन तथा निर्णय लेने में सहायता के लिए जलमौसमविज्ञान संबंधी ऑकड़े को सूचना प्रबंधन प्रणाली के अर्जन तथा पारेषण हेतु एक आधुनिक एकीकृत अनुश्रवण नेटवर्क स्थापित किया जायेगा।

12.3 सार्वजनिक अथवा निजी सभी राज्यीय तथा केन्द्रीय एजेंसियों, विभागों एवं संस्थाओं, जो जल विज्ञान संबंधी ऑकड़ों को एकत्रित, अनुरक्षित और क्रमबद्ध करते हैं, इस सूचनाप्रणाली को ऑकड़े, इनकी वैधता और सटीकता सुनिश्चित करने के बाद उपलब्ध करायेंगे। सभी सार्वजनिक अथवा निजी जल उपयोक्ता तथा पण्धारियों एवं संबंद्ध राज्य, केन्द्रीय एजेंसियों तथा विभागों का इस सूचना प्रणाली के ऑकड़ों तक पूर्ण अभिगम (भुगतान के आधार पर) सुनिश्चित किया जायेगा।

13.0 जल संसाधन परियोजनाओं का बैंचमार्किंग

जल संसाधन परियोजनाओं के कामकाज तथा इन परियोजनाओं के द्वारा विभिन्न जल उपयोक्ता क्षेत्रों को दी जानेवाली सेवा को, जिम्मेदार कार्मिकों की कार्यक्षमता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही एवं उपयोक्ता की सहभागिता को बढ़ाकर बेहतर किया जायेगा।

बैंचमार्किंग जल संसाधन परियोजनाओं के प्रदर्शन को सुधारने तथा विश्लेषण करने के लिए प्रबंधन का एक शक्तिशाली साधन है। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से राज्य में सभी जल परियोजनाओं के लिए बैंचमार्किंग का इस्तेमाल इस तरह अपनायेगी कि सभी परियोजनाएं लगभग पाँच वर्षों की अवधि के लिए बैंचमार्किंग के इस्तेमाल में समिलित हो जायें।

14.0 जल अंकेक्षण

राज्य में सृजित सिंचाई क्षमता के भरपूर उपयोग के लिए जल अंकेक्षण आवश्यक है। सभी जल संसाधन परियोजनाओं के लिए जल अंकेक्षण अनिवार्य होगा। सेवा प्रदाता मात्रात्मक आपूर्ति हेतु मापीयंत्र उपलब्ध कराने तथा विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग का हिसाब देने के लिए जिम्मेवार होगा।

15.0 जल संरक्षण

- 15.1 जल के सभी प्रकार के उपयोगों में इसकी विविध उपयोगी क्षमता में सुधार किया जायेगा एवं दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के प्रति जागरूकता को विकसित किया जायेगा। संरक्षण के प्रति जागरूकता को शिक्षा, विनियमन एवं प्रोत्साहन के द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा।
- 15.2 जल संसाधन योजनाओं में वर्षा जल संचयन पर यथोचित विचार किया जायेगा। सतहजल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, विशेषकर भूगर्भ जल की कमीवाले क्षेत्रों में जीवनक्षम परियोजनाओं का अन्वेषण तथा उनका क्रियान्वयन किया जायेगा। ऐसी योजनाओं से भूगर्भ जल के पुनर्भरण में भी सहायता मिलेगी।

- 15.3 जल संसाधनों के संवर्धन हेतु जल के पुनरुपयोग तथा पुनर्चक्रण के लिए प्रयत्न किया जायेगा, जिसमें सीवेज से प्राप्त जल को आवश्यक बहिःस्नावी शोधन के उपरांत इस्तेमाल योग्य बनाना शामिल है। इसे औद्योगिक उपयोग के लिये अनिवार्य बनाया जायेगा।
- 15.4 जल निकायों से होनेवाले वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के तरीके अपनाये जायेंगे तथा प्रयास किया जायेगा कि इसपर आनेवाला व्यय अधिकाधिक लागत-क्षम हो।
- 15.5 जल साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शुरू की जायेगी ताकि विविध जल प्रयोक्ताओं के बीच जल के मितव्ययी उपयोग की समझ पैदा की जा सके।
- 15.6 जहाँ भूगर्भजल का स्तर बहुत नीचे चला गया है तथा भारत सरकार ने उस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया है, वहाँ जल संरक्षण कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- 15.7 उन प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ बृहत तथा मध्यम परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं तथा जल वितरण अपर्याप्त तथा अनियमित है, वहाँ जल संरक्षण संबंधी निर्माण (ग्रामीण तालाब परिस्थिति तालाब तथा केंटी० वेयर्स) किये जायेंगे।

16.0 सूखा प्रबंधन

- 16.1 राज्य के कतिपय सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे की स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिये सूखा पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन हेतु एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखा से संबंधित समस्याओं को मृदा-नमी संरक्षण उपायों (फार्म तालाब, निकास नाला, परिस्थिति तालाब, केंटी० वेयर्स), जल संरक्षण पद्धति, वाष्पीकरण से होनेवाले नुकसान में कमी तथा भूगर्भ जल की क्षमता का विकास, जिसमें जहाँ कहीं पर्याप्त और संभव हो, वहाँ पुनर्भरण तथा राज्य के एक नदीबेसिन से कमीवाले नदी बेसिन में अधिशेष सतही जल का स्थानान्तरण सम्मिलित है, द्वारा कम किया जायेगा।
- 16.2 चारागाह, वन प्रान्त तथा विकास के वैसे अन्य स्वरूपों को बढ़ावा दिया जायेगा जो न्यूनतम जल उपयोग सापेक्ष हो। जल संसाधन विकास परियोजनाओं की

तैयारी में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जायेगी। जल संसाधन परियोजना की तकनीकी साध्यता पर निर्णय लेते समय आर्थिक व्यवहार्यता को महत्व दिया जायेगा। ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जायेगा। सिंचाई परियोजनाओं की तैयारी तथा विनियमन में अष्टमासिक फसल पद्धति अपनाई जायेगी।

- 16.3 जल की उपलब्धता में कमी की स्थिति के दौरान जल प्रयोक्ताओं के विविध क्षेत्रों के बीच बराबर की हिस्सेदारी होगी, चाहे वे ऊँचाईवाले क्षेत्र में स्थित हों अथवा नीचेवाले क्षेत्र में। घरेलू उपयोग के लिये जलापूर्ति के मानक राज्य के विभिन्न नदी उपर्येक्षिणियों के लिये अलग-अलग होंगे तथा इन नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता की स्थिति पर आधारित होंगे।
- 16.4 सूखा से बचाव के लिए सूखा प्रभावित आबादी को नियोजन मुहैया कराने के लिये राहत कार्य चलाये जाने को अधिमानता दी जायेगी। जल संसाधन विकास कार्यों में भी सूखा से बचाव के उपायों को प्राथमिकता दी जायेगी।

17.0 जल संसाधन योजना तथा सिद्धान्त

- 17.1 राज्य की जनता के अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक लाभ के लिये राज्य के जल संसाधन का इस्तेमाल, संरक्षा तथा प्रबंध इस प्रकार किया जायेगा ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सके तथा नदियों और उसकी पार्श्वभूमि में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक मूल्यों को बनाया रखा जा सके। सरकार के सभी अभिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के जल संसाधनों से होनेवाला लाभ भरपूर तथा एकीकृत हो।
- 17.2 जल संसाधन विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की योजना बनाते तथा सूत्रण करते समय सम्पूर्ण लागत तथा लाभ पर आर्थिक पर्यावरणीय, सामाजिक तथा बाहरी लागत एवं लाभ को शामिल करते हुये विचार किया जायेगा। लाभ में बढ़ोत्तरी तथा लागत में कमी के लिये आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा तकनीकी रूप से साध्य जल संसाधन विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को अपनाया जायेगा।

- 17.3 पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाओं को तैयार करने में सुनिश्चित पेयजल की सुविधा की आवश्यकता, जलविद्युत विकास की संभावना तथा भौतिक विशेषताओं एवं नदी क्षेत्र की तीव्र ढलान, तेज बहाव और मृदाक्षरण की घटना जैसी बाध्यताओं के संदर्भ में कतिपय क्षेत्रों में सिंचाई की सम्यक् पहुंच को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे क्षेत्रों की परियोजनाओं के आर्थिक मापदंड सामान्य क्षेत्रों के मापदंडों से अलग होंगे।
- 17.4 जल संसाधन विकास परियोजनाओं को वर्तमान एवं भविष्य की जल उपलब्धता के अनुसार तैयार किया जायेगा तथा नदी बेसिन/उपबेसिन को एक इकाई के रूप में विकसित किया जायेगा।
- 17.5 राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों को यथासंभव उपयोग लायक संसाधनों की श्रेणी के अन्तर्गत लाया जायेगा। धारणीयता बढ़ाकर, प्रदूषण दूरकर तथा नुकसान को कम करने के लिये अपनाये गए उपायों द्वारा संसाधनों को संरक्षित किया जायेगा तथा उसकी उपलब्धता को संवर्धित किया जायेगा। इसके लिये, भंडारण तथा वितरण, परिवहन व्यवस्था के चयनात्मक स्तरीकरण, वर्तमान व्यवस्था के आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार, जिसमें तालाबों, उपचारित बहिःस्नावी जलों के पुनर्चक्रण तथा पुनरुपयोग शामिल हैं, तथा पारंपरिक तकनीक जैसे मल्चिंग या पाइप द्वारा सिंचाई और नई तकनीक जैसे ड्रिप तथा स्प्रिंकलर, जो भी सुकर हो, को अपनाकर, वाष्पीकरण को नियंत्रित करने के साधनों जैसे इवेपोरेटरडेन्ट्स तथा अन्य उपयुक्त साधनों को बढ़ावा दिया जायेगा।
- 17.6 अन्तःराज्यीय नदी बेसिन का स्थानान्तरण, जिसमें नदी बेसिन के अतिरिक्त जल को कम बेसिन जलवाली नदी में भरा जायेगा, भूमिगत जल का कृत्रिम पुनर्भरण, वर्षाजल संचयन आदि जैसी जल के उपयोग की गैरपारम्परिक विधियों के माध्यम से उपयोगी जल संसाधनों में बढ़ोतरी की जा सकती है।
- 17.7 कम अवधि तथा कम जल खपत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाए।

- 17.8 सतहजल भूमिगत जल का एकीकृत तथा समन्वित विकास एवं उसके समुच्चयात्मक उपयोग को परियोजना की तैयारी के समय ही परिकल्पित किया जायेगा तथा यह परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
- 17.9 राज्य में स्थित विभिन्न नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का पुर्णआकलन करने हेतु जल संसाधन आयोग का गठन किया जायेगा।

18.0 बाढ़ जल – योजना एवं प्रबंधन

- 18.1 विभिन्न आवश्यकता आधारित प्राथमिकतावाले क्षेत्रों के उपयोग हेतु नदी में कम समय के लिये उपलब्ध बाढ़ के बहाव को मोड़कर तथा परित्यक्त खदानों आदि सहित प्राकृतिक गड्ढावाले इलाकों में भंडारण करने पर जोर दिया जायेगा। इसके लिए राज्य के निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित जलाशयों के लिए प्रावधानों के अनुरूप तथा विद्यमान सभी जलाशयों में टेलीमेट्री के अधिष्ठापन सहित प्रवाह-पूर्वानुमान पद्धति के साथ-साथ मौसम विज्ञान संबंधी दीर्घावधि, मध्यावधि तथा अल्पावधि वाले मानसून पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत योजना बनाई जायेगी।
- 18.2 ढांचागत उपायों के रूप में तटबंधों के निर्माण, नदी तटों पर कटावरोधी कार्य आदि के साथ-साथ गैरढांचागत कार्य के रूप में राज्य के विभिन्न नदी बेसिनों में वनारोपण, बाढ़ से बचाव, बाढ़ के मैदानों का वर्गीकरण इत्यादि को आवश्यकता के आधार पर जब और जैसा आवश्यक हो, बाढ़ आप्लावन से कृषि भूमि की रक्षा तथा नदियों की स्थालाकृति में बदलाव की रक्षा के लिए अपनाया जायेगा।

19.0 जल के उपयोग की प्राथमिकता

नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार जल को निम्नांकित क्षेत्रों के लिए कर्णांकित किया जायेगा :—

- (i) पशुधन सहित मानव के पीने, स्वच्छता और सफाई जैसी आवश्यकताओं के लिए घरेलू उपयोग;

- (ii) जल संसाधन की निरंतरता से संबंधित पारिस्थितिकी;
- (iii) कृषि हेतु सिंचाई जिसमें बागवानी, जड़ीबूटी, जल आधारित कृषि, मत्स्यपालन इत्यादि;
- (iv) जल विद्युत विकास;
- (v) कृषि आधारित उद्योग;
- (vi) औद्योगिक विकास, तथा
- (vii) अन्य सभी उपयोगी प्रयोजन

क्षेत्र विशेष के आवश्यकता के अनुसार पेय जल को छोड़कर जल उपयोग के शेष प्राथमिकताओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है । जल विद्युत उत्पादन का विकास सिंचाई के विकास के साथ-साथ होगा ।

20.0 जल संसाधनों की भौतिक तथा आर्थिक स्थिरता

जल संसाधनों के विकास का स्थिर एवं भरपूर लाभ सुनिश्चित करना राज्य एवं जल उपयोक्ताओं की संयुक्त जिम्मेदारी होगी ।

21.0 वृहत पैमाने पर जलापूर्ति तथा जल प्रभार्य

- 21.1 जल उपयोग की सभी श्रेणियों के जल प्रयोक्ता समुदायों को जल सेवा मुहैया कराने के लिए संचयी लागत वसूलने हेतु सरकार द्वारा जल दर की एक पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी । जल प्रभार्य, अनुमोदित जल टैरिफ व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की जायेगी, जो मात्रात्मक आधार पर उद्गृहीत होगी ।

- 21.2 प्रत्येक समुचित प्रबंधन तथा सेवा उपबंध के स्तर पर जल प्रभार्य का निर्धारण एवं भुगतान किया जायेगा। ऐसा प्रभार्य जल के उपयोग तथा वितरण की सभी प्रशासनिक, प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत एवं उस जल के भंडारण, वितरण तथा उपयोग के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना के सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग की पूंजीगत लागत के भुगतान के लिये पर्याप्त होगा।
- 21.3 जल प्रयोक्ता संघों तथा अन्य जल प्रयोक्ता समुदायों के लिये जल प्रभार्य का निर्धारण उनके अपने जल ग्रहण स्थल पर जलापूर्ति की मात्रा के आधार पर किया जायेगा। जल प्रयोक्ता संघ तथा अन्य जल प्रयोक्ता समुदाय आंतरिक जल प्रभार्य के अवधारण के लिये जिम्मेवार होगा तथा जल प्रभार्य अदा करने, आवश्यक अनुरक्षण कार्यान्वित करने तथा सदस्यों द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्यों के लिये अपेक्षित निधि अभिप्राप्त करने के लिये अपने प्रत्येक सदस्य का निर्धारण करेगा।
- 21.4 जो पूरा प्रभार्य देने में असमर्थ है, उनके लिये ऐसे प्रभार्य के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार प्रतिअनुदान स्वीकृत करेगी तथा सरकारी निधि आवंटित करेगी। ऐसा किये जाने की दशा में, जब प्रति-अनुदान तथा सरकारी निधि को नियमित जल-प्रभार्य में जोड़ा जाए, तो वह जल वितरण के प्रबंधन, प्रचालन तथा अनुरक्षण की समूची लागत तथा उस जल के भंडारण तथा वितरण के लिये आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने की पूंजीगत लागत को वसूलने के लिये पर्याप्त होना चाहिए।

22 भूगर्भ जल का प्रबंधन

- 22.1 राज्य के कुछ प्रखण्ड (यथा चास, रातु, धनबाद, रामगढ़, गोड्डा, जमशेदपुर सदर, झरिया एवं कांके) में भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन हुआ/हो रहा है। उपलब्ध जल की गुणवत्ता तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करते हुये भूगर्भ जल की क्षमता का समय-समय पर वैज्ञानिक आधार पर पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

22.2 भूगर्भ जल संसाधन का दोहन इस प्रकार विनियमित किया जायेगा जिससे कि सामाजिक समता सुनिश्चित हो सके तथा जो पुनर्भरण की क्षमता से भी अधिक न हो। भूगर्भ जल पुनर्भरण परियोजनाएं विकासात्मक परियोजनाएं होंगी। ऐसी परियोजनाएं भूगर्भजल से उपलब्ध आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिये विकसित तथा कार्यान्वित की जायेगी। भूगर्भ जल के सतत (संसटेनेबल) प्रबन्धन हेतु भारत सरकार द्वारा संसूचित मोडेल अधिनियम के आलोक में भूगर्भ जल अधिनियम का विनियमन किया जायेगा ।

23.0 पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास

जल संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिये भंडारण के निर्माण तथा इसके परिणामस्वरूप पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास नीति का क्रियान्वयन आवश्यक होगा। योजना के लाभ में हिस्सेदारी तथा प्रभावित व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा एक पुनर्वास नीति अपनाई गई है। जहां कहीं पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास के मामले अन्तग्रस्त होंगे, वहां सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्वास संबंधी गतिविधियां इन परियोजनाओं के पूरा होने से पहले सम्पन्न कर ली जाय। इस सिद्धान्त का पालन निष्ठापूर्वक किया जायेगा। पुनर्व्यवस्थापन तथा पुनर्वास के कारण विस्थापित आबादी पर पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। ऐसी योजना से होनेवाले फायदों पर पहला अधिकार योजना-प्रभावित लोगों का होगा।

24.0 जल का क्षेत्रीकरण

भविष्य में आर्थिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रत्येक नदी बेसिन के लिए जल की उपलब्धता पर आधारित जल का क्षेत्रीकरण यथा पेयजल क्षेत्र, भूगर्भ जल की कमी का क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जल प्रदूषित क्षेत्र, सूखा प्रवण क्षेत्र चिन्हित किया जाएगा तथा इसके आलोक में जल उपयोग के क्षेत्र के लिए विकास की योजनाएं

संबंधित क्षेत्रों के परामर्श, समन्वय तथा सहभागिता से तैयार की जायेगी एवं चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा ।

25.0 आधारभूत संरचना की सुविधाओं का अनुरक्षण और आधुनिकीकरण

नदी बेसिन अभिकरणों, जल प्रयोक्ता संघों, अन्य जल प्रयोक्ता समुदायों तथा जल सेवा प्रदाताओं सहित उत्तरदायी प्राधिकार अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी जलीय आधारभूत संरचनाओं तथा सुविधाओं की कार्यक्षमता तथा क्रियाशीलता को लागतक्षम, समयबद्ध तथा ठोस तकनीकी रीति अपनाकर ऐसी आधारभूत संरचनाओं का अनुरक्षण तथा आधुनिकीकरण करेगा तथा ऐसा अनुरक्षण कार्यक्रम पूर्णतः तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो, इसके लिये निधि की व्यवस्था तथा आवंटन करेगा ।

26.0 राज्य जल सेवाओं की लागत प्रभावकता

सरकारी विभाग, जल सेवा प्रदाता तथा नदी बेसिन अभिकरण स्थापना, निर्माण, निर्माण सामग्री, ऊर्जा तथा अन्य व्यय लागत को अनुकूल बनायेंगे तथा सेवाओं और राजस्व के स्रोतों एवं उसके विभिन्न कृत्यों और सेवाओं के लिये आवंटन का पारदर्शी लेखा संधारित करेंगे ।

27.0 जल प्रभार्य की वित्तीय स्थिरता

विविध उपयोगों के लिए जल प्रभार्य नियत करने हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें कम से कम शुरू में सेवा प्रदान करने के लिए उसके परिचालन एवं रख-रखाव तथा ब्याज सहित पूँजीगत लागत आच्छादित हो । ये दरें प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जानेवाली सेवा की गुणवत्ता से जोड़ी जायेंगी । जल की दर पर सहायिकी सुलक्षित एवं पारदर्शी होगी ।

28.0 निवेश – प्राथमिकताएँ एवं योजना

- 28.1 जल संसाधन परियोजना एवं कार्यक्रम के विकास के लिए निवेश योजना बनाने में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम लागत एवं अधिक से अधिक फायदा के आधार पर यह समय पर पूरी हो सके। परियोजना की प्राथमिकता एवं चयन उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था से संगत होंगे, ताकि इस जलनीति में अधिकथित आर्थिक सिद्धान्तों के अनुसार परियोजनाओं एवं कार्यक्रम को समय पर पूरा किया जा सके।
- 28.2 बहुवर्षीय कार्यक्रमों के संदर्भ में उपपरियोजना विशेष की प्राथमिकता तय की जायेगी, तदनुसार उसका चयन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा। निवेश का विनिश्चय करते समय जो परियोजना प्रगति के प्रक्रम पर हो, उनको प्राथमिकता दी जायेगी।
- 28.3 समय एवं उसपर अत्यधिक लागत तथा लाभ में कमी, जो कि जल से संबंधित अधिकतर परियोजनाओं में होते रहते हैं, को परियोजना की तैयारी एवं उसके प्रबंधन की गुणवत्ता को बढ़ाकर दूर किये जायेंगे। परियोजनाओं की निधि की कमी को चालू परियोजनाओं को पहले पूरा करने तथा क्षेत्रीय असंतुलन में कमी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का भरपूर आवंटन करके दूर किया जायेगा।

29.0 जल संसाधन की आधारभूत संरचना की सुरक्षा

जल संसाधन विकास के लिए बनाये गये या बनाये जानेवाले बाँधों एवं नहरों सहित सभी आधारभूत संरचनाओं की सुरक्षा राज्य द्वारा स्थापित मानकों उवं प्रक्रिया के अनुसार आवधिक निरीक्षण के राज्यवार कार्यक्रम के जरिये सुनिश्चित की जायेगी।

30.0 जल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का शोध, विकास एवं उन्नयन

- 30.1 अधिक कारगर एवं उत्पादक जल उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकी की जानकारी अर्थात् राज्य की जनता के लाभ हेतु जल संसाधनों के उपयोग एवं भरपूर विकास

के लिए ड्रिप तथा स्प्रिंकलर (जल को टपकाकर या फुहारा मारकर) प्रबंधन, उसके निरंतर विकास और एतद संबंधी ज्ञान एवं जानकारी के प्रचार-प्रसार पर महत्त्व दिया जायेगा। पुनःचक्रण बहिःस्रोतीय उपचार द्वारा गैरसिंचाई और गैर पेय प्रयोजन के लिए जल के पुनरुपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य यथाशक्य एवं समुचित जल कृषि प्रौद्योगिकी के विकास, अनुकूलन एवं प्रसार को बढ़ावा देगा तथा अपने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसकी जानकारी देगा।

31.0 मानव संसाधन विकास

- 31.1 भविष्य में उन्नत जल सेवा एवं प्रबंधन के लिए जल उपयोक्ताओं, राज्य अभिकरण के पदाधिकारियों की क्षमता एवं योग्यता में वृद्धि की अपेक्षा होगी। जल उपयोक्ताओं एवं सरकारी पदधारियों को प्रशिक्षण एवं जानकारी में भागीदारी के लिए राज्य व्यापक एवं अभिनव कार्यक्रम बनायेगा।
- 31.2 राज्य अभिकरण के पदाधिकारियों के बीच तकनीकी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करेगा। राज्य की जनता की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में जल के भरपूर एवं कारगर उपयोग हेतु अभिनव विचार एवं भाव के क्रियान्वयन, वांछित गुणवत्ता के साथ परियोजनाओं को ससमय पूरा करने जैसी अनुकरणीय सेवाओं के लिए बिना पारी पदोन्नति सहित समुचित पुरस्कार देकर किया जायेगा।

32.0 जलनीति की आवधिक समीक्षा

वास्तविक आवश्यकता के अनुसार जब एवं जैसी आवश्यकता हो, राज्य जलनीति की समीक्षा की जायेगी, किन्तु सामान्य रूप से यह समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात् की जायेगी।

“जल की एक बूँद जिन्दगी के लिए”